



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 7-2020/Ext.]

चण्डीगढ़, शुक्रवार, दिनांक 10 जनवरी, 2020 (20 पौष, 1941 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नहीं।	
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं।	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
1.	अधिसूचना संख्या का०आ० 5/पं०अ० 50/1948/धा० 46/2020, दिनांक 10 जनवरी, 2020 -पंजाब जोत (चकबन्दी तथा खण्डकरण रोकथाम) संशोधन नियम, 2020. (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	9-10
भाग IV	शुद्धि-पच्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं।	

भाग-III**हरियाणा सरकार**

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 जनवरी, 2020

संख्या का० आ० 5/पं०अ० 50/1948/धा० 46/2020.— पूर्वी पंजाब जोत (चकबन्दी तथा खण्डकरण रोकथाम) अधिनियम, 1948 (1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 50) की धारा 46 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 30/पं०अ० 50/1948/धा० 46/2019, दिनांक 19 जून, 2019 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पूर्वी पंजाब जोत (चकबन्दी तथा खण्डकरण रोकथाम) नियम, 1949, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम पूर्वी पंजाब जोत (चकबन्दी तथा खण्डकरण रोकथाम) हरियाणा संशोधन नियम, 2020, कहे जा सकते हैं।
2. पूर्वी पंजाब जोत (चकबन्दी तथा खण्डकरण रोकथाम) नियम 1949 में, परिशिष्ट में, खण्ड 1 में,—
 - (i) उप-खण्ड (क) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“क) गाँव से गाँव तथा सर्कुलर सड़कें 5 से 6 करम चौड़ी”;
 - (ii) उप-खण्ड (ख) में, मद (i) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“i) गाँव की आबादी से गाँव की कृषि 4 से 5 करम चौड़ी”।

भूमि के लिए आवागमन की आवश्यकता पूरी करने हेतु सड़कें

नवराज संधु,
अपर मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Notification

The 10th January, 2020

No. S.O. 5/P.A. 50/1948/S. 46/2020.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 46 of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948 (East Punjab Act 50 of 1948) and with reference to Haryana Government, Revenue and Disaster Management Department, notification No. S.O. 30/P.A. 50/1948/S. 46/2019, dated the 19th June, 2019, the Governor of Haryana hereby makes the following rules, further to amend the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Rules, 1949, in its application to the State of Haryana, namely :—

1. These rules may be called the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Haryana Amendment Rules, 2020.

2. In the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Rules, 1949, in Appendix, in clause 1,—

- (i) for sub-clause (a) and entries thereagainst, the following sub-clause and entries thereagainst shall be substituted, namely:—
“(a) village to village and circular roads 5 to 6 karams wide”;
- (ii) in sub-clause (b), for item (i) and entries thereagainst, the following item and entries thereagainst shall be substituted, namely:—
“(i) roads to serve as communication 4 to 5 karams wide”.
to village fields from village abadi

NAVRAJ SANDHU,
Additional Chief Secretary and Financial
Commissioner to Government Haryana, Revenue and
Disaster Management Department.